न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 81/2025, 82/2025, 83/2025
अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

बैंक ऑफ बडौदा, जरिये प्राधिकृत अधिकारी सदाशिव आचारी
पंजीकृत कार्यालयः– बडौदा हाउस, मांडवी, बडौदा, गुजरात 390001
क्षेत्रीय कार्यालयः– स्वामीनारायण भवन, सैयदपुरा, सूरत, गुजरात 395003

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स हरे कृष्णा सिल्क मिल्स जरिये प्रोपराईटर राजीव अग्रवाल,** फ्लैट नं. 8–बी, वास्तु पूला अपार्टमेंट, एन.आर. रघुवीर बंगला, सिटी हाई रोड, सूरत–395007
2. **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल,** शेखपुरा मोहल्ला, पुलिस लाईन के सामने वाली गली, सीकर, राजस्थान

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता) पत्रावली संख्या : 81/2025

1. **मैसर्स अन्नपूर्णा फैशन जरिये प्रोपराईटर सुमित्रा ओमप्रकाश अग्रवाल,** फ्लैट नं. 8–बी, वास्तु पूला अपार्टमेंट, एन.आर. रघुवीर बंगला, सिटी हाई रोड, सूरत–395007
2. **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल,** शेखपुरा मोहल्ला, पुलिस लाईन के सामने वाली गली, सीकर, राजस्थान 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता) पत्रावली संख्या : 82/2025

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

1. **मैसर्स सान्या टैक्स टाईल्स जरिये प्रोपराईटर पूजा राजीव अग्रवाल**
   कार्यालय पताः– फ्लैट नं. 8–बी, वास्तु पूला अपार्टमेंट, एन.आर. रघुवीर बंगला, सिटी हाई रोड, सूरत–395007
   आवासीय पताः– प्रथम तल, एच–10, डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क, रोड नं. 8, सचिन, सूरत–394230
2. **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल,** शेखपुरा मोहल्ला, पुलिस लाईन के सामने वाली गली, सीकर, राजस्थान 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता) पत्रावली संख्या : 83/2025

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत तीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

A. प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा तीनों प्रकरणों में स्वीकृत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:–

1) **प्रकरण संख्या 81/2025** में अंकित किया है कि, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स हरे कृष्णा सिल्क मिल्स जरिये प्रोपराईटर राजीव अग्रवाल** एवं **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल** को **₹95,00,000/– (अक्षरे रूपये पचानवे लाख)** एवं **₹20,00,000/– (अक्षरे रूपये बीस लाख) कुल ₹1,15,00,000/– (अक्षरे रूपये एक करोड पंद्रह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **11.06.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये।

2) **प्रकरण संख्या 82/2025** में अंकित किया है कि, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स अन्नपूर्णा फैशन जरिये प्रोपराईटर सुमित्रा ओमप्रकाश अग्रवाल** एवं **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल** को **कुल ₹95,00,000/– (अक्षरे रूपये पचानवे लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **23.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये।

3) **प्रकरण संख्या 83/2025** में अंकित किया है कि, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स सान्या टैक्स टाईल्स जरिये प्रोपराईटर पूजा राजीव अग्रवाल** एवं **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल** को **कुल ₹95,00,000/– (अक्षरे रूपये पचानवे लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

B. उक्त तीनों ऋणों के लिए अप्रार्थीगणों की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल** के स्वामित्व की सम्पत्तियां बंधक रखी गई हैं, जो कि निम्नानुसार हैः–

1) **आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या–63, नया वार्ड संख्या–34 (पुराना 28), शेखपुरा मोहल्ला, डॉ. इंद्राज सिंह के मकान के पास, खटीया मोहल्ला, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भगवती देवी की सम्पत्ति (वर्तमान मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल), पश्चिम दिशा में राजेन्द्र की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में गिगराज गिनोडिया और सुशील गिनोडिया की संपत्ति एवं दक्षिण दिशा में नटवर लाल अग्रवाल का नोहरा स्थित है।

2) **आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या–63, नया वार्ड संख्या–34 (पुराना 28), शेखपुरा मोहल्ला, डॉ. इंद्राज सिंह के मकान के पास, खटीया मोहल्ला, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में संजय कुमार की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में गिगराज गिनोडिया और सुशील गिनोडिया की संपत्ति एवं दक्षिण दिशा में नटवर लाल अग्रवाल का नोहरा स्थित है।

जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

C. नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये गए। प्रकरण संख्या 81/2025, 82/2025 एवं 83/2025 तीनों में ही एक समान सम्पत्तियां बंधक होने के कारण तीनों प्रकरणों को समेकित किया गया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **11.06.2024, 23.08.2024 एवं 09.08.2024** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये हैं जिनकी अप्रार्थीगणों की प्राप्ति रसीदों (Acknowledgements) की फोटो प्रतियां प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं। अप्रार्थीगणों की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्तियां निम्न प्रकार है:—

1) **प्रथम बंधक संपत्तिः— आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या—63, नया वार्ड संख्या—34 (पुराना 28), शेखपुरा मोहल्ला, डॉ. इंद्राज सिंह के मकान के पास, खटीया मोहल्ला, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में भगवती देवी की सम्पत्ति (वर्तमान मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल), पश्चिम दिशा में राजेन्द्र की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में गिगराज गिनोडिया और सुशील गिनोडिया की संपत्ति एवं दक्षिण दिशा में नटवर लाल अग्रवाल का नोहरा स्थित है।

2) **द्वितीय बंधक संपत्तिः— आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या—63, नया वार्ड संख्या—34 (पुराना 28), शेखपुरा मोहल्ला, डॉ. इंद्राज सिंह के मकान के पास, खटीया मोहल्ला, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में संजय कुमार की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में गिगराज गिनोडिया और सुशील गिनोडिया की संपत्ति एवं दक्षिण दिशा में नटवर लाल अग्रवाल का नोहरा स्थित है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर